न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 11/2016 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	**बनाम**	1. श्री जितेन्द्र कुमार झुर्रानी पुत्र श्री कन्हैयालाल झुर्रानी विक्रेता मैसर्स – श्री बी.बी.के. एण्ड सन्स, (दी ट्रीट फूड कोर्ट) सिटी सेन्टर मॉल, द्वितीय मंजिल, एल.आई.सी. ऑफिस के पास, भीलवाडा (राज.) स्थाई पता – मकान संख्या –6–डी – 18, न्यू हॉउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, भीलवाडा (राज.) 2. श्रीमती दिव्या झुर्रानी पत्नि श्री जितेन्द्र कुमार झुर्रानी – मालिक मैसर्स – श्री बी.बी.के. एण्ड सन्स, (दी ट्रीट फूड कोर्ट) सिटी सेन्टर मॉल, द्वितीय मंजिल, एल.आई.सी. ऑफिस के पास, भीलवाडा (राज.) स्थाई पता – मकान संख्या –6–डी – 18, न्यू हॉउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, भीलवाडा (राज.)
– प्रार्थी		**––विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1 श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा

2 विपक्षी उपस्थित नहीं

दिनांक 28.02.2017

आदेश

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षी के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी श्री जितेन्द्र कुमार झुर्रानी पुत्र श्री कन्हैयालाल झुर्रानी विक्रेता मैसर्स श्री बी.बी.के. एण्ड सन्स, (दी ट्रीट फूड कोर्ट) सिटी सेन्टर मॉल, द्वितीय मंजिल, एल.आई.सी. ऑफिस के पास, भीलवाडा (राज.) पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत् रोटी,

सब्जी, दही, इत्यादि का निर्माण कर विकय कर रहा था। मैसर्स श्री बी.बी.के. एण्ड सन्स, (दी ट्रीट फूड कोर्ट) सिटी सेन्टर मॉल, द्वितीय मंजिल, एल.आई.सी. ऑफिस के पास, भीलवाडा (राज.) का निरीक्षण करने पर पाया गया कि एक स्टील की थाल में 10 से 12 किलो दही रखा हुआ था। मौके पर विक्रेता से पूछने पर बताया गया कि उक्त दही की निर्माण फुल कीम दूध से किया गया है। स्टील की थाल में रखे हुए दही (फुल कीम दूध से निर्मित) मे मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानो के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फोर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार दही (फुल कीम दूध से निर्मित) का नमूना लेकर वासते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया । बाद जाँच नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म **5-A** की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, फर्म के सविधान सबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.05.2015 को समय 04:15 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स श्री बी.बी.के. एण्ड सन्स, (दी ट्रीट फूड कोर्ट) सिटी सेन्टर मॉल, द्वितीय मंजिल, एल.आई.सी. ऑफिस के पास, भीलवाडा (राज.) पर पहुंचा। आवेदक द्वारा विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय होटल पर विक्रेता की हैसियत से श्री जितेन्द्र कुमार झुर्रानी पुत्र श्री कन्हैयालाल झुर्रानी उम्र 43 वर्ष, जाति सिंधी, निवासी मकान संख्या–6–डी – 18, न्यू हॉउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, भीलवाडा (राज.) उपस्थित था एवं आम जनता को रोटी, सब्जी, दही, इत्यादी का निर्माण कर आम जनता को विक्रेय कर रहे थे। मौके पर विक्रेता द्वारा खाद्य लाईसेन्स की प्रति प्रस्तुत कि गई।

मौके पर एक स्टील की थाल में 10 से 12 किलो दही रखा हुआ था। मौके पर विक्रेता से पुछने पर बताया गया कि उक्त दही की निर्माण फुल कीम दूध से

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

किया गया है। स्टील की थाल में रखे हुए दही (फुल कीम दूध से निर्मित) मे मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानो के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फोर्म 5 ए में देते हुए खाद्य नमूना नियमानुसार जाँच हेतु लिया गया।

मौके पर गवाह व विकेता की उपस्थिति में स्टील की थाल में रखे हुए दही (फुल कीम दूध से निर्मित) को एक साफ सूखे चाकू से वर्टिकल कट लगाकर चार भागो मे बांटा व एक भाग को अन्य साफ सूखे खाली स्टील के भगोने मे लेकर, एक साफ सूखी स्टील की चम्मच से अच्छी तरह से हिला मिलाकर एक रूप कर (Homogenous) कर किया। एक रूप दही मे से 800 ग्राम दही एक अन्य साफ सूखे खाली भगोने मे खरीदा एवं इस बाबत 80 रूपये मात्र देकर मात्र देकर खरीदा गया एवं रसीद प्राप्त की।

इस खरीदशुदा दही को गवाह व विकेता के सामने चार बराबर भागों में विभाजित कर, चार साफ, सूखे, खाली, चौडे मूंह के प्लास्टिक के कन्टेनर मे डालकर, प्रत्येक मे 16–16 बूंदे फार्मेलिन बतौर प्रिजरवेटिव डाली, व चारों नमूना कन्टेनर पर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक नमूना भाग के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर विक्रेता, गवाहन व स्वंय के हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर दोनो सिरो को मोडकर गोंद से चिपकाऐं प्रत्येक नमूना भाग पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी डॉ. जगदीश चन्द्र जीनगर के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप कोड व कम संख्या एक्स–910 को नियमानुसार उपर से लेकर नीचे व नीचे से लेकर उपर तक अच्छी तरह गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर सभी के हस्ताक्षर करवाये। नियमानुसार मौका फर्द तैयार की गई। लिये गये खाद्य नमूना सख्यां एक्स 910 को खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। शेष बचे भागो को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा करावाया गया।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जांच रिर्पोट सं. L.S.390/ACT /2015 / 407 दिनांक 08.07.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, दही (फुल कीम दूध से निर्मित) निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण सब स्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी संख्या 1 श्री जितेन्द्र कुमार झुर्रानी पुत्र श्री कन्हैयालाल झुर्रानी विक्रेता मैसर्स श्री बी.बी.के. एण्ड सन्स, (दी ट्रीट फूड कोर्ट) सिटी सेन्टर मॉल, द्वितीय मंजिल, एल.आई.सी. ऑफिस के पास, भीलवाडा (राज.) विक्रेता व विपक्षीगण 2, द्वारा सबस्टैण्डर्ड दही (फुल क्रीम दूध से निर्मित) का विक्रय एवं निर्माण कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 19.02.2016 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 20.01.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष 19.02.2016 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित । विपक्षी अनुपस्थित हैं।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना दही (फुल क्रीम दूध से निर्मित) सब–स्टैण्डर्ड होना पाया गया है । **प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि फुल क्रीम दूध से निर्मित दही में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित मिल्क फेट की मात्रा कम से कम 6.0 प्रतिशत होनी चाहिए, जबकि लिये गये खाद्य नमूने में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में 2.19 प्रतिशत ही मिल्क फेट पाई गई इसलिए लिया गया नमूना सब–स्टेण्डर्ड होना पाया गया** एवं विपक्षीगणों द्वारा सब–स्टेण्डर्ड दही (फुल क्रीम दूध से निर्मित) का निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित हैं। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षीयों के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया , किन्तु

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षीगण जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है ।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना दही (गाय के दूध से निर्मित) सब–स्टैण्डर्ड होना पाया गया है एवं विपक्षीगणों द्वारा सब–स्टेण्डर्ड दही (गाय के दूध से निर्मित)का निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 मे निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षियो के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा विपक्षी को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया । किन्तु विपक्षी द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षीगण जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट हैं ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. L.S.390/ACT/2015/407 दिनांक 08. 07.2015 के अनुसार विक्रेता से जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, दही (गाय के दूध से निर्मित) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सब–स्टेण्डर्ड SUB STANDARD होना पाया गया** एवं विपक्षीगणों द्वारा सब–स्टेण्डर्ड दही (गाय के दूध से निर्मित)का निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है , जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी जितेन्द्र कुमार झुर्रानी पुत्र श्री कन्हैयालाल झुर्रानी विक्रेता मैसर्स – श्री बी.बी.के. एण्ड सन्स, (दी ट्रीट फूड कोर्ट) सिटी सेन्टर मॉल, द्वितीय मंजिल, एल.आई.सी. ऑफिस के पास, भीलवाडा (राज.) स्थाई पता – मकान संख्या –6–डी – 18, न्यू हॉउसिंग बोर्ड, भास्त्री नगर, भीलवाडा (राज.) एवं विपक्षी सं. 02 द्वारा दही (गाय के दूध से निर्मित) सब–स्टैण्डर्ड का विक्रय एवं निर्माण करने के लिये दोषी हैं। इस प्रकार विपक्षीगणों द्वारा सब–स्टैण्डर्ड दही (गाय के दूध से निर्मित) का विक्रय एवं निर्माण किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं जिसकी शास्ति के प्रावधान धारा 51 में वर्णित हैं । इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षीगण संख्या 1 व 2 द्वारा उल्लधंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी संख्या 01 द्वारा मौके पर विकेता की हैसियत से कार्य किये जाने के कारण विपक्षी सं. 01 पर शास्ति आरोपित किया जाना उचित नहीं होने से , विपक्षी सं. 01 पर शास्ति आरोपित नहीं किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी सं. 02 फर्म की मालिक हैं एवं फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र भी इन्हीं के नाम से हैं तथा फर्म के समस्त कारोबार संचालन हेतु व्यक्तिशः जिम्मेदार होने से विपक्षी सं. 02 पर 50000/-रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी संख्या 02 उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 3 माह के अन्दर शास्ति राशि कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें। उक्त अवधि में शास्ति राशि जमा नहीं कराने पर विहित अधिनियम की धारा 96 में प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुये रा.भू.रा. अधिनियम 1956 में अंकित प्रावधानों के अनुसार विपक्षीगण के विरूद्व वसूली कार्यवाही की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/02/17

(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4 श्री जितेन्द्र कुमार झुर्रानी पुत्र श्री कन्हैयालाल झुर्रानी विकेता मैसर्स — श्री बी.बी.के. एण्ड सन्स, (दी ट्रीट फूड कोर्ट) सिटी सेन्टर मॉल, द्वितीय मंजिल, एल.आई.सी. ऑफिस के पास, भीलवाडा (राज.) स्थाई पता — मकान संख्या —6—डी — 18, न्यू हॉउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, भीलवाडा (राज.)
5 श्रीमती दिव्या झुर्रानी पत्नि श्री जितेन्द्र कुमार झुर्रानी — मालिक मैसर्स — श्री बी.बी.के. एण्ड सन्स, (दी ट्रीट फूड कोर्ट) सिटी सेन्टर मॉल, द्वितीय मंजिल, एल.आई.सी. ऑफिस के पास, भीलवाडा (राज.) स्थाई पता — मकान संख्या —6—डी — 18, न्यू हॉउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, भीलवाडा (राज)

28/02/17

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा